बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 03/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0कानूनगो(अ0प्र0पत्र)– 21/2023 698 पटना, दिनांक : 06/02/2024

आदेश

निदेशालय ज्ञापांक 10269 दिनांक 20.07.2020 द्वारा श्रीमती संगीता कुमारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00725) को नियोजित करते हुए बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल में पदस्थापित किया गया है। नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र की जाँच/सत्यापन के क्रम में संज्ञान में आया है कि निदेशालय स्तर पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या– 04/2019 में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित था, जबकि श्रीमती कुमारी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न अर्थात Diploma in Civil Engineering के स्थान पर Diploma in Architectural Assistantship का है, जो कि उक्त पद पर नियोजन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के विपरीत है।

विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हेतु प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न योग्यता के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5460 दिनांक 05.07.2023 द्वारा 03 दिनों के अन्दर श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है तथा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि Diploma in Architectural Assistantship का प्रमाण–पत्र Diploma in Civil Engineering के समतुल्य है एवं Architectural Assistantship का पाठयक्रम जो Civil से मिलता जुलता है।

प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया है। अवलोकनोपरांत पाया गया है कि इनके द्वारा यह तर्क दिया जाना कि Architectural Assistantship का पाठयक्रम जो Civil से मिलता जुलता है तथा Equivalent Qualification में Architecture को सिविल के समतुल्य दिया जाता है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विज्ञापन संख्या–04/2019 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित की गयी थी। प्रकाशित विज्ञापन में उक्त शैक्षणिक योग्यता के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अतएव ऐसे में इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता से भिन्न शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के फलस्वरूप इनके द्वारा नियोजन के समय समर्पित Terms of Assignment की कंडिका–4 में निहित प्रावधान के आलोक में श्रीमती संगीता कुमारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 06/02/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0कानूनगो(अ0प्र0पत्र)– 21/2023 698 पटना, दिनांक 06/02/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती संगीता कुमारी (SKN00725), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 6/02/24

D:\JYOTI-2024\Bablu Sir\Order\Director\21-2023 29-01-2024 (Sangeeta Kumari).docx

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0कानूनगो(अ0प्र0पत्र)– 21/2023 698 पटना, दिनांक 06/02/2024

प्रतिलिपि :– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0कानूनगो(अ0प्र0पत्र)– 21/2023 698 पटना, दिनांक 06/02/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R साफ्टवेयर के अन्तर्गत संधारित उक्त कर्मी का व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
6/2/24